# प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फैलोशिप (PMRDF) योजना

## क – योजना

1. **परिचय :–**

कपार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी संगठन है। कपार्ट के संघ की अन्तर्नियमावली एवं नियमों यथा विहित उद्देश्य इस प्रकार है :–

(i) सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में सर्वांगीण विकास, रोजगार अवसरों के सृजन, स्वावलम्बन को बढ़ावा, जागरूकता सृजन, तथा जीवन की गुणवत्ता के सृजन व सुधार के प्रति और विशेषतया आर्थिक व सामाजिक रूप से विपन्न एवं शारीरिक मानसिक एवं दृष्टि से अपंग लोगों के सर्वांगीण विकास के प्रति लक्षित परियोजनाएं/ स्कीमों को बढ़ावा देना, मदद करना, मार्गदर्शन करना, सुनियोजित करना, हाथ में लेना विकसित करना, संरक्षित करना और समन्वित करना है (कपार्ट को संघ अन्तर्नियमावली व नियम के अनुच्छेद 3 (ix) जो शारीरिक अस्थिगत एवं दृष्टि दोषों के उपचार में प्राथमिकता को लेकर है, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरी को बराबर समझे जाएगे, इसका अनुमोदन कपार्ट के निकाय की 07.07.1995 की बैठक में किया गया था)।

ii) संगत प्रौद्योगिकी (शिल्प) के उपयोग पर शोध अध्ययन करना, सर्वे करना,मूल्यांकन करना व इस प्रकार की अन्य क्रियाएं करना) समिति यानी कपार्ट उद्देश्यों को मजबूत बनाने के लिए शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) व पुरस्कार की पेशकश करना।

iii) कपार्ट (सोसायटी) के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसके द्वारा आवश्यक, अनुभवी या सहायक समझे गये ऐसे ही अन्य कार्य करना।

इस उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कपार्ट ने ऐसे सुयोग्य युवा उद्यमियों की क्षमता सृजन के अवसर उपलब्ध करने के लिए एक योजना बनायी है, जो देश में माओवादी चरमपंथियों (एल

डब्लू. ई ) प्रभावित जिलों में जमीनी स्तर पर विकास सुविधाएं जुटाने के लिए आगे आए। योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) कहलाएगी।

**II. प्रसंग**

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में स्थित अनेक जिलों को माओवादी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के रूप में चिन्हित किया है। इन सभी जिलों की कुछ समान विशेषताएं है। 50 प्रतिशत से अधिक आबादी का भीषण गरीबी से प्रभावित होना अधिक भूभाग पर जंगल होना आदिवासी और दलित आबादी का अधिक अनुपात तथा वहां विकास के प्रतिमानों का अभाव उन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.) के अंदर खड़ा करती है। भारत सरकार ने इन जिलों में समेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.) नामक विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासनिक शैली में ये जिले आईएपी जिले कहलाते हैं।

यह सर्वमान्य है कि हथियारबंद नक्सल समूहों के प्रभाव के विस्तार का एक कारण उन क्षेत्रों के विकास में कमी होना है। योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने अपनी 2008 की रिपोर्ट ''चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौतियां'' में यह उजागर किया है कि नक्सली आंदोलन को जनता का सहयोग और समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि नक्सली दीन हीन गरीबों की समस्याओं और जरूरतों को पूरा करते रहते हैं।

इस विषय पर सरकार की समझ बढ़ी है कि नक्सली चरमपंथ को विकास का विशेष अभियान चलाकर तथा स्थानीय शासन को अधिक उदार हितकारी और विकासकारी बना कर ही चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इस नीचे से सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या स्थानीय जिला प्रशासन का सक्षम न होना है। इस विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना होगा तथा अनुकूल परिस्थितियों के लिए संगत कार्रवाई करनी होगी। इसके लिये विकास सुधार प्रक्रिया की मदद में इजाफा करने हितकर पक्षों के बीच आशावाद जगाने और विश्वास पैदा करने के लिये जिला स्तरीय नेतृत्व को निर्णयकारी मदद देनी होगी । इससे युवा उद्यमियों को अपनी क्षमता के सृजन का अवसर देना होगा, ताकि वे ऐसे विषम क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाएं बनाकर अपनी अनुभव अन्य प्रतिभा को अमलीजामा पहना सकें ।

13 सितंबर, 2011 को, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास शिक्षावृत्ति नाम की योजना का माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में एलान किया था, जिसके

अनुसार समेकित कार्ययोजना जिलों (आई.ए.पी.) ने जिला प्रशासन के तहत युवा उद्यमियों को तैनात किया जाता है। इस योजना का खर्च कपार्ट के बजट से दिये जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस घोषणा में जो निहितार्थ था उससे नक्सली हिंसा की चुनौती से नहीं निपटा जा सकता है। तथा इस हेतु सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और प्रभावकारिता के नये रास्ते तलाशना जरूरी हो गया है। इसके लिये स्थानीय समुदायों, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक ताने–बाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था, व उसके सम्पर्क सूत्रों एवं राजनैतिक एवं प्रशासनिक मशीनरी के साथ उनके संबंधों को गहराई से समझना जरूरी है। सर्वोपरि होगा कि सभी प्रमुख एजेंसियों के बीच एक ऐसा ताना–बाना तैयार किया जाए कि मौजूदा असंतोष और व्यामोह का कारगर ढंग से समाधान किया जा सके। नक्सली प्रभाव वाले इलाकों में लोकतांत्रिक सुशासन के लिए गरीबों और हाशिए पर खड़े वर्ग के लोगों के बीच विश्वास की गहरी भावना पैदा करना ही एक मात्र उपाय है। इसके अलावा जिला प्रशासन को योजना प्रक्रिया में सुधार, संचालक मशीनरी को चुस्त दुरूस्त करने, परिणामों की निगरानी तथा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए ताजा उत्साह अति आवश्यक है, तभी आवश्यकता होने पर दबावकारी मुद्दों का शीघ्र समाधान संभव है।

## III. योजना के उद्देश्य

प्रधान मंत्री ग्रामीण शिक्षावृत्ति (पी.एम.आर.डी.एफ.) योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे होनहार युवा उद्यमियों को क्षमता सृजन का अवसर सुलभ कराना है, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को आगे आये और जिनकी आवश्यक शैक्षिणिक पृष्ठ भूमि और कुछ अनुभव हो, भले ही वह अनुभव नक्सल प्रभावी जिलों में मौजूद कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में विकास जन कार्यो का न हो। उन शिक्षावृत्ति पाने का दर्जा प्रशिक्षु का होगा और उन्हें इस शिक्षावृत्ति द्वारा एक अनोखा अवसर और अनुभव प्राप्त होगा, ताकि वे शिक्षावृत्ति के बाद अपने लिए उचित समझी गई जीवन शैली की मार्फत समाज के विकास में सार्थक योगदान कर सकें । प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, इन वृत्ति धारकों को दक्षता प्रमाण–पत्र दिये जाएंगे।

शिक्षावृत्ति के दौरान वृत्ति धारकों से यह अपेक्षा की जायेगी कि नक्सली जिलों में जिला प्रशासन को प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करें, तथा वे विशेषतया ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अग्रणी योजनाओं (फलैगशिप स्कीमों) के संचालन और निगरानी में विकास सुविधाओं की भूमिका निभा सकें । इस प्रक्रिया से वृत्तिधारक जो पेशेवर रूप से योग्य और अनुप्राणित होंगे, भले ही उन्हें

नक्सली इलाकों में काम करने यानी क्षेत्रीय स्तर का व्यावहारिक अनुभव न हो, को कार्यक्रम के संचालन और निगरानी में अपनी क्षमताओं के सृजन का तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

## IV. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास वृतिधारकों की भूमिका

नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यकाल के दौरान ये विकास वृतिधारक समेकित कार्य योजना (आईएपी) से जुड़े ऐसे मामले पर जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जो उन्हें सौंपी जाएगी और जो विशेषतया अन्य के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में होगीः

क) जिले का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विश्लेषण करना तथा लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली जरूरतों का निर्धारण।

ख) अगणी कार्यक्रमों (फलैगशिप स्कीम) जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका अभियान (एनआरएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), समेकित जल संचय प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा समेकित कार्ययोजना (आईएपी) के बेहतर संचालन में सहयोग;

ग) उर्पयुक्त कार्यक्रमों की निगरानी और उनके परिणामों का मूल्यांकन

घ) बजट परिव्यय तथा धन के उपयोग से जुडे आंकड़ों का संकलन करना

ड.) स्थानीय इलाकों में स्वैच्छिक सहयोग का ताना–बाना तैयार करना

ये विकास शिक्षावृत्तिधारक जिला परिषदों /डीआरडीए/ जिला प्रशासन में तैनात किये जाएंगे। उनकी दैनिक भूमिका का ठीक–ठाक ब्यौरा वृत्तिधारकों और जिला कलेक्टर द्वारा मिल कर तैयार किया जा सकता है।

## v. शिक्षावृति की शर्तें एवं अवधि

शिक्षावृति की अवधि में कार्यप्रवणता अवधि (ओरिएंटेशन पीरियड शामिल होगी और वह दो वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा उसे कार्यनिष्पादन और परस्पर सहमति से एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि को बिना किसी लिखित कारण के एक महीने का नोटिस देकर

अथवा नोटिस की एवज में एक माह की वृत राशि के बराबर राशि द्वारा, समाप्त किया जा सकेगा। शिक्षावृति की समग्र अवधि, आरिएंटेशन पीरिएड के बाद, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वृतधारकों को कपार्ट के साथ वृत–करार पर लागू शर्तें और निबन्धन स्वीकार करने होंगे तथा उन्हें शिक्षावृति की बावत कपार्ट के साथ एक करार (एग्रीमेंट) करना होगा।

शिक्षावृति का समापन के बाद पीएमआरडी फेलो (वृतधारक) को रोजगार या उस वावत कपार्ट पर या किसी जिला प्रशासन/डीआरडीए/जिला परिषद्/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार पर किसी प्रकार का हक नहीं होगा।

## VI. शिक्षावृति धारकों (फेलो) का चयन

योजना में मूलतः समेकित कार्ययोजना जिसे दो वृतधारकों की तैनाती की परिकल्पना दी गई है। इस प्रकार 78 समेकित कार्य येजना जिलों में 156 वृतधारक तैनात किये जाएंगें इस दर, से शुरू में करीब 200 वृतधारकों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में कपार्ट किसी ऐसी बाहरी ऐजेंसी से सहयोग ले सकेगा, जिसे समान कार्यक्रमों का पूर्व अनुभव हो। फेलोशिप के लिए आवेदन पत्र खुले विज्ञापन की मार्फत आमंत्रित किये जाएंगे। आवेदकों को अपना आवेदन पूर्वनिर्धारित परिपत्र में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

आवेदकों से अपेक्षा की जाएगी कि :

(1) वे इस आशय का एक संक्षिप्त आलेख आवेदन पत्र के साथ भेजें कि वे समेकित कार्ययोजना जिलों में पीएमआरडी फेलो के रूप में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं।

(2) एक अन्य संक्षिप्त आलेख जिसमें वे समेकित कार्ययोजना जिले में विद्यमान किसी एक मूल समस्या का चयन करके उसके संभावित समाधान का उल्लेख करेंगे।

(3) एक और संक्षिप्त आलेख जिसमें वे इस फेलोशिप के फलस्वरूप प्रत्याशित हितलाभों का उल्लेख करेंगे और अपनी फेलोशिप के बाद की योजना बताएंगे।

4. स्थानीय भाषाओं के अपने ज्ञान और पसंद के जिलों के बारे में लिखेंगे।

इन आलेख सारांशों का इस्तेमाल उनकी तत्परता और संक्षेपणशीलता के साथ विचार प्रकट करने की उनकी योग्यता का आकलन करने में किया जाएगा। आवेदन में दिये गये ब्यौरों के आधार पर आवेदकों की एक छोटी वरीयता सूची बनायी जाएगी। इस सूची में वरीयताक्रम प्राप्त उमीदवारों की समूह संवाद, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार आदि के आधार जांच की जाएगी, ताकि उनकी दूसरों को प्रेरित करने, नेतृत्व देने, पेशेवर–दक्षता एवं गरीबोनुकूल रूझान का निर्धारण किया जा सके और इस प्रकार अंतिम चयन किया जाएगा।

**पत्रता मानदंडः** पीएमआरडी फेलो (वृतधारक) हेतु पात्रता मानदंड इस प्रकार है :–

(क) आवेदन के समय आयु 21 से 30 वर्ष के वीच,

(ख) विधि/इंजीनियरिंग/चिकित्सा/व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक (ग्रेजुएट), अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री,

(ग ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान, तथा

(घ) वरीयताः कुछ कार्य का अनुभव।

## VII. अभिविन्यास कार्यक्रम

चुने गये फेलो (वृतधारकों) को दो महीने की अवधि (यात्रा समय सहित) परिचय कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) में बितानी होगी, जिसमें से एक माह का समय समेकित कार्ययोजना जिले में बिताना होगा।

इस कार्यक्रम के बाद, पाठयक्रम विकास की कवायद होगी तथा प्रतिभागी संस्थाओं के मार्फत उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी, ये सामग्री चुने गये उमीदवारों को, परिचय कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व, संकलन के रूप में दी जाएगी।

अभिविन्यास मॉडयूल्स में निम्नलिखित का समावेश होगा :

(क) सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक प्रसंग, संविधान ओर सुशासन का ढांचा, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1976 के विशेष संदर्भ में विकेन्द्रीकरण, अधिकार

आधारित अभिगम, सामाजिक व राजनैतिक आंदोलन (नक्सल आंदोलन समेत), तथा भारत का ज्ञान।

(ख) गरीबी, व गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की समझ

(ग) समावेशन – उसके विभिन्न आयाम, स्त्रीपुरूष संवेदनशीलता

(घ) सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम

(ड.) परिणाम निर्धारण

(च) योजना सृजन, परिवीक्षा व मूल्यांकन

(छ) जिला योजना और अभिज्ञान

(ज) संख्यात्मक व गुणात्मक कौशल

(झ) नेतृत्व, निर्णय लेना, विषमता समाधान, संवाद, कोमल कौशल,

(य) विभिन्न स्तरों पंचायत राज संस्थाओं, डीआरडीए, जिला कलक्टर कार्यालय, पुलिस, वन विभाग तथा अन्य मुख्य सरकारी विभागों के स्तरों पर शासन शैली का परिचय।

इस अभिविन्यास कार्यक्रम से विकसित होने वाली खास क्षमताएं इस प्रकार होंगीः

क) प्रतिभागियों की चुनौतीपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों में कार्य करने हेतु विश्लेषणात्मक, नेतृत्व, संवाद, परस्परता, सौदेबाजी और विरोधाभास समाधान कौशल;

ख) विभिन्न समेकित कार्ययोजना जिलों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक संदर्भों के निर्धारण से सुविज्ञ जानकारी और संवेदनशीलता गुण में प्रवीणता के द्वारा प्रमुख हितबद्ध पक्षों के साथ व्यवहार की योग्यता;

ग) विकास कार्यक्रमों और जमीनी हालात के बारे में भरपूर सूचना आधार;

घ) अधिकार आधारित पद्धति विकसित की जाए, जो उन्हें वंचित समुदायों और समूहों को जटिल, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थितियों में सम्मानजनक जीवन जीने और अधिकार हासिल कराने में मदद करेगी;

ड.) तृणमूल स्तर की योजना व हस्तक्षेप प्रक्रियाओं को आगे ले जाने की योग्यता;

च) कार्यक्रमों, नीतियों, बजट मांगों, धन के नियतम और उपयोग विधि आदि की सम्यक विवेचना की योग्यता ताकि हस्ताक्षेपकारी योजनाओं के कार्यान्वयन नीतियो को मजबूती प्रदान की जा सके;

छ) सरकार के साथ तथा जन सुविधाओं और उनके चर्तुदिक विन्यास, कारोबार और उद्योग के साथ संवाद, संपर्क और मैत्रीपूण व्यवहार को ताना–बाना तैयार करने की योग्यता ताकि वे सभी समुदायों के साथ ताल–मेल बैठाकर कुशलतापूर्वक अपना योगदान दे सकें।

अभिविन्यास कार्यक्रम की पूर्णता पर आशा है कि पीएमआरडी के फैलों (वृतिधारक) समेकित कार्ययोजना जिलों में तैनात हाने पर अपनी भूमिका और कर्तव्यों का पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्वहन करने में भलीभांति सन्नद्ध हो जाएंगे।

फैलोशिप (शिक्षावृति) के अंत में, वृतिधारकों को पीएमआरडी फैलो के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

पीएमआरडी फैलो (वृतिधारकों) के अभिविन्यास कार्यक्रम में, कपार्ट किसी बाहरी पेशेवर एजेंसी/एजेंसियों से सहयोग ले सकता है।

## VIII. पीएमआरडी फैलो (शिक्षावृतिधारकों) की तैयारी

अभिविन्यास के बाद छात्रवृति धारकों को समेकित कार्ययोजना जिलों में तैनात किया जाएगा। जिला कलेक्टर उन्हें उनकी नियत भूमिका में उपयुक्त स्तरों पर सहयोजित करेगा, ऐसी उनकी योग्यताओं तथा पीएमआरडी फैलो के रूप में प्रशिक्षण और अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ये फैलो अपने वृति काल के दौरान जिला कलेक्टर के समग्र पर्यवेक्षण में रहेंगे।

तैनाती के बाद, कपार्ट, मंत्रालय के अतिरिक्त समेकित कार्ययोजना जिलों के कलेक्टरों, संबंधित राज्य सरकारों, योजना में शामिल पेशेवर शैक्षिक संस्थाओं तथा पीएमआरडी फैलो से मिलकर उनकी प्रगति की निकट से निगरानी करेगा तथा योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

## IX. पीएमआरडी फैलो को वृतिराशि

सभी पीएमआरडी फैलो कपार्ट के महानिदेशक द्वारा समय–समय पर निर्धारित मात्रा में अपनी समूची प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न स्तरों एक मुश्त वृतिराशि (स्टाईपेंड पैकेज) पाने के हकदार होंगे, जो उनके जिला कलेक्टरों द्वारा आकलित उनके संतोषपद्र कार्य निष्पादन पर तथा फैलो के रूप में यथा विज्ञप्त तथा फैलों के कपार्ट के साथ करार के निष्पादन पर निर्भर होगा।

## X. निष्पादन मूल्यांकन

पीएमआरडी फैलो लोगों के कार्य निष्पादन का संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

## XI. अनुपस्थित अवकाश

सभी पीएमआरडी फैलो एक वर्ष में 8 दिन के आकस्मिक अवकाश, दो दिन के प्रतिबंधित अवकाश तथा 15 दिन के अर्जित अवकाश तथा अपने समूचे कार्यकाल में अधिकतम 30 दिन के बिना वेतन अवकाश के हकदार होंगे। इसके अलावा, फैलोशिप के दौरान फैलो की गैर हाजरो किसी मियाद के कारण कार्यकाल कम होने का फैलोशिप अवधि बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकगा।

मातृत्व अवकाश के लिए पीएमआरडी फैलो को कार्यकाल की अवधि की अर्जित छुट्टियों को कुल अनुपस्थित अवधि में घटाया जाएगा और अधिकतम 45 दिन की शेष अवधि को मातृत्व अवकाश माना जाएगा। इससे अधिक जितने दिनों की गैर हाजरी होगी उसे अवैतनिक छुट्टी माना जाएगा।

## XII. राज्य सरकारों की सहभागिता

कपार्ट की पीएमआरडी फैलोशिप स्कीम भारत सरकार की विभिन्न राज्यों की चुनिंदा जिलों में चल रही समेकित कार्ययोजना स्कीम के समग्र छत्रछाया में कार्य करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमआरडी फैलोशिप स्कीमों के सफल कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत करेगा तथा जिला कलेक्टरों और राज्यों एवं जिलों के समेकित राज्य योजना के संचालक दल की सक्रिय भागीदारी सहित उनका सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा। कपार्ट यथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करेगा।

## XIII. स्कीम का अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) से मूल्यांकन

कपार्ट स्कीम के अन्य पक्ष से मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। शिक्षावृति धारकों (फैलोगण) की अपने–अपने जिलों में न्यूनतम एक वर्ष की तैनाती के बाद स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा मूल्यांकन भी स्कीम के औपचारिक समापन से पहले किया जाएगा।

**XIV. पीएमआरडी फैलोगणों के भावी बैच**

स्कीम के किसी परवर्ती विस्तार का निर्णय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और तद्नुसार, कपार्ट द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

## ख. प्रशासनिक व्यवस्था

13 सितम्बर, 2011 को योजना की घोषणा के बाद, प्रस्तावित योजना की रूपरेखा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, कपार्ट द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2011 को आईएपी जिला कलेक्टरों की कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि 25-30 आयु वर्ग के 3 युवा उद्यमियों को इन प्रत्येक जिलों में तैनात किया जाए।

78 आईएपी जिलों की सूची **संलग्नक -I** पर देखा जा सकता है।

27 सितंबर, 2011 को सचिव, ग्रामीण विकास और उपाध्यक्ष, कार्यकारी समिति, कपार्ट द्वारा ली गई बैठक में योजना सहित अन्य बातों के साथ-साथ अपने उद्देश्यों, पात्रता मानदंड, तैनाती के कार्यकाल परिलब्धियां, भर्ती के लिए प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, अभिविन्यास, चयन प्रक्रिया, आदि पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, फैसला किया गया कि पीएमआरडीएफ अध्येताओं के चयन और उन्मुखीकरण की प्रक्रिया को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS), मुंबई, को सौंप दिया जाए जिन्हें जिला सुविधाकारक नाम की इसी तरह की यूनिसेफ की एक योजना को करने का अनुभव है।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, कपार्ट द्वारा 30 सितंबर, 2011 को एक बैठक में, इस योजना के विभिन्न पहलुओं की पुष्टि की गई और यह निर्णय लिया गया कि योजना के साथ आगे बढा जाए।

तदनुसार, मंत्रालय ने 14 नवंबर, 2011, 17 नवंबर, 2011, 21 नवंबर, 2011 और 27 नवंबर, 2011 को समाचार पत्रों में फैलोशिप हेतु आवेदन के लिए विज्ञापन दिया था। जिसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर, 2011 थी, जो कि बढा कर 11 दिसंबर,2011 कर दी गई थी, जिसमें उम्र की पात्रता 21 वर्ष कम करने का फैसला किया गया था।

8100 आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए थे जो मंत्रालय द्वारा आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल साइंस को अग्रेषित किए गए थे ।

यह माना जाता है कि टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल साइंस द्वारा निम्नलिखित अगले कदम उठाए जायेंगे:

(क) दिसंबर 2011 - जनवरी, 2012: प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच, आवश्यक समीक्षा के द्वारा आवेदकों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन, उम्मीदवारों की छटनी और उन्हें समूह चर्चा (जीडी) और इंटरव्यू के लिए बुलाना।

(ख) फरवरी, 2012 - मार्च 2012:

(i) सूचीबद्ध उम्मीदवारों का समूह चर्चा और साक्षात्कार

(ii) अध्येताओं का अंतिम चयन.

(iii) अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम के विकास और तैयारी की व्यवस्था, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) और इंस्टीटयूट आफ ग्रल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) के साथ मिलकर करना।

(iv) अप्रैल - मई, 2012:

पीएमआरडीएफ अध्येता के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम.

साक्षात्कार बोर्ड इस प्रकार हो सकता है:

(क) निदेशक टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल साईंस, या उसके नामांकित व्यक्ति;
(ख) आईआईएम / आईआरएमए के प्रतिनिधि
(ग) कपार्ट / ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि,
(घ) राज्य के प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास), या उसके प्रतिनिधि और
(ङ) आईएपी जिलों से चुने गये जिला कलेक्टर

चयन के बाद उम्मीदवारों को एक समझौते के तहत फैलोशिप अनुबंध की पेशकश की जाएगी (अनुबंध-II में दिये गये बिंदुओं के साथ) तथा फैलोशिप के लिए नियम एवं शर्तें सहमति (अनुबंध के परिशिष्ट में दिए गये बिंदुओं के साथ ) .

अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन अप्रैल-मई,2012 के दौरान कियाजाएगा, और अध्येताओं को आईएपी जिलों में जून,2012 में तैनात किया जाएगा।

अभिविन्यास अवधि के दौरान पीएमआरडीएफ अध्येताओं को रूपये 50,000/- का एक समेकित पैकेज दो महीने के लिए प्रति माह दिया जाएगा तथा प्रथम वर्ष के दौरान प्रति माह रूपये 75,000/-, तथा दूसरे वर्ष के दौरान 10% वेतन वृद्धि तथा साथ ही साथ कपार्ट द्वारा निर्धारित संतोषजनक प्रदर्शन करने पर फैलोशिप के तीसरे वर्ष के दौरान भी दिया जाएगा।

यह पैकेज उन्मुखीकरण अवधि के दौरान फैलो के मानदेय, बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च को कवर करने, फैलोशिप की अवधि के दौरान आवास और मकान भत्ता, स्थानीय परिवहन लागत, स्वास्थ्य बीमा,जीवन, और विकलांगता बीमा कवर और किसी भी अन्य आकस्मिक व्यय के लिए समझा जाएगा। यह पीएमआरडीएफ अध्येताओं के लिए अनिवार्य होगा कि वे उन्मुखीकरण अवधि सहित फैलोशिप की पूरी अवधि के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा, जीवन और विकलांगता बीमा कवरेज आदि करायें।

अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान, अध्येताओं को कपार्ट द्वारा उनकी वृत्ति का भुगतान टाटा सोशल साईस इंस्टीटयूट के माध्यम से किया जाएगा, और अध्येता बोर्डिंग और लॉजिंग तथा अन्य खर्च पूरे उन्मुखीकरण अवधि के दौरान TISS / दूसरे को अभिविन्यास के पाठ्यक्रम में संबंधित जिले के लिए भुगतान करना होगा। तैनाती के बाद कपार्ट प्रत्येक फैलो के बैंक खाते में प्रति माह संलग्न मासिक रिपोर्टिंग प्राप्प के आधार पर (अनुलग्नक-III) जिला कलेक्टरों से प्रत्येक महीने के अंत में उनकी उपस्थित की पुष्टि करने के बाद मासिक वजीफा सीधे उनके बैंक खाते में जमा करेगा।

इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य कार्य/भूमिका में टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल साईंस को भी शामिल किया जा सकता है जैसा कि मंत्रालय / कपार्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

वार्षिक आधार पर पीएमआरडीएफ के प्रदर्शन का संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा पूर्व डिजाइन प्रारूप (अनुबंध चतुर्थ) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और महानिदेशक, कपार्ट को अग्रेषित किया जाएगा।

इसके अलावा योजना के लिए उचित व्यवस्था मंत्रालय/कपार्ट द्वारा किया जाएगा।

**संलग्नक - I**

## आईएपी जिलों की सूची

| राज्य | जिला |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1.अदीलाबाद<br>2. ईस्ट गोदावरी<br>3 करीमनगर<br>4 खम्मम<br>5 श्रीकाकुलम<br>6 विशाखापट्टनम<br>7 विजयनगरम<br>8 वारांगल |
| बिहार | 1 अरवल<br>2 औरंगाबाद<br>3 गया<br>4 जमुई<br>5 जेहानाबाद<br>6 कैमूर<br>7 मुंगेर<br>8 नवादा<br>9 रोहतास |
| छत्तीसगढ | 1 बस्तर<br>2 दांतेवाडा<br>3 जाशपुर<br>4 कंकेर<br>5 कोरिया<br>6 राजनंदगांव<br>7 सरगुजा<br>8 कवारधा |

| | |
|---|---|
| | 9 बीजापुर<br>10 नरायनपुर |
| झारखंड | 1 बोकारो<br>2 पूर्वी सिंहभूमि<br>3 गुमला<br>4 हजारीबाग<br>5 लोहारदग्गा<br>6 पालामाउ<br>7 सिमदेगा<br>8 सरायकेला<br>9 पश्चिमी सिंहभूमि<br>10 रामगढ<br>11 चतरा<br>12 गडवा<br>13 गिरिडीह<br>14 खूंती<br>15 कोडरमा<br>16 लातेहर<br>17 रांची (ग्रामीण) |
| मध्य प्रदेश | 1 अनूपपुर<br>2 बालाघाट<br>3 डिंडोरी<br>4 मंडला<br>5 सियोनी<br>6 सीधी<br>7 शाहडोल<br>8 उमरिया |
| महाराष्ट्र | 1 गढ़चिरौली<br>2 गोंडिया |
| उडीसा | 1 बोलांगिर<br>2 देवगढ़<br>3 गजपती |

| | |
|---|---|
| | 4 गंजम<br>5 जाजापुर<br>6 कालाहांडी<br>7 कंधमाल<br>8 केंदुझार<br>9 कोरापुट<br>10 मलकनगिरि<br>11 मयूरभंज<br>12 नवरंगपुर<br>13 रायगड़ा<br>14 संभलपुर<br>15 सुंदरगढ<br>16 नुआपाडा<br>17 नयागढ<br>18 सोनापुर |
| उत्तर प्रदेश | 1 सोनभद्र<br>2 चंदौली<br>3 मिर्जापुर |
| पश्चिम बंगाल | 1 मिदनापुर पश्चिम<br>2 बंकुरा<br>3 पुरुलिया |

**संलग्नक-।।**

# समझौता

(रूपए 100 /- के भारतीय गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर )

मैं _____ , पुत्र/पुत्री _____ निवासी_____, और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फैलो (पीएमआरडीएफ) के रुप में लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट के रूप में संदर्भित), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था के रुप में पंजीकृत, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 में पंजीकृत कार्यालय के साथ अनुबंध आधार पर मैं स्वयं को, मेरे वारिस, निर्वाहक और प्रशासकों और कपार्ट के विचार में निम्नलिखित करने के लिए सहमत होने तथा मुझे इस क्षमता निर्माण सुअवसर को देने के लिए जिसमें दो महीने के लिए अभिविन्यास और समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में जिला कलेकटरों के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए तथा मेरे द्वारा पूर्व अवधि में किये गये प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के लिए बढाई जाने वाली अवधि लेकिन किसी भी दशा में कपार्ट के लिए आगे के लिए अनवीकरणीय सहित, सहमत हूं।

मैं इसके साथ सहमत हूँ तथा इस के साथ नीचे दिए गये नियमों और शर्तों को इस समझौते के लिए परिशिष्ट में निहित प्रावधानों के अलावा कपार्ट के नियमों और शर्तों तथा पीएमआरडीएफ फैलोशिप के शर्तों को पूरा करता हूं।

1. कि मैं अपनी तैनाती के दौरान अभिविन्यास अवधि में फैलोशिप अनुसूची और आवश्यकताओं का पालन करूंगा और मैं जहां पर तैनात होउंगा वहां के जिला कलेक्टर की सहायता करूंगा।

2. कि मैं फैलोशिप अनुबंध के कार्यकाल की अवधि के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म या अन्य एजेंसी के साथ कोई अन्य रोजगार नहीं करूंगा और कि अगर मैं फैलोशिप के पूरा होने से पहले इस्तीफा देता हूं या छोडता हूं तो मैं एक माह पूर्व का नोटिस कपार्ट को दूंगा या कपार्ट को एक महीने के वेतन का भुगतान वापस करूंगा, जो भी लागू हो।

3. कि मैं अभिविन्यास कार्यक्रम के पूरा होने के बाद कपार्ट द्वारा जहाँ मैं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाउंगा वहां के आईएपी जिले के जिला कलेक्टर को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करूंगा। यदि मैं अभिविन्यास कार्यक्रम के बाद निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में विफल हो जाउं, तो कपार्ट द्वारा जो धनराशि मेरे उन्मुखीकरण कार्यक्रम के रूप में तथा पीएमआरडीएफ फैलों के चुनने में मेरे उपर खर्च की गई है उस राशि को मैं यथानुपात रूप में वापस कर दूंगा।

4. यदि अगर किसी भी कारण मैं _____ पूर्वोक्त राशि नहीं अदा कर पाता हूं तो मेरे गारंटर, श्री /सुश्री._____ _____, पुत्र / पुत्री _____, निवासी_____ की जिम्मेदारी इस राशि को तुरंत भुगतान करने की होगी। गारंटर इस राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है जिसका/जिसकी हस्ताक्षर इस समझौते पर दिया गया है।

5. किसी भी तरीके से मेरे द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन होने की घटना पर कपार्ट उपयुक्र्त राशि को समझौते की शर्तों के अनुसार वापस लेने का हकदार होगा।

6. कि मैं इस समझौते के आधार पर किसी भी पद पर निरंतर या नियुक्ति का दावेदार नहीं होउंगा।

दिनांक _____को समझौता किया गया

सभी शर्तों के रूप में उपर्युक्त स्वीकार किए जाते हैं।

पीएमआरडीएफ का नाम:

हस्ताक्षर:

पूरा पता: _____

_____

_____

फोन / मोबाइल नंबर: _____

ई - मेल: _____

मैं,_____पुत्र/पुत्री_____, निवासी_____
_____ श्री /सुश्री_____
(उपर्युक्त व्यक्ति), इस अनुबंध की शर्तों को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से इस समझौते के खंड 2 और 3 और 4 के संदर्भ में कपार्ट को राशि वापस करने के लिए गारंटर की जिम्मेदारी लेता हूं।

उपर्युक्त सभी शर्तों स्वीकार किए जाते हैं

गारंटर का नाम:
हस्ताक्षर:
पूरा पता:._____
_____
_____
टेलीफोन / मोबाइल नंबर: _____
ई - मेल: _____

## संलग्नक - II का परिशिष्ट

### पीएमआरडीएफ अध्येता शासी के लिए नियम और शर्तें

1) पीएमआरडीएफ फैलोशिप की प्रकृति विशुद्ध रूप से एक प्रशिक्षार्थी अनुबंध है,जो पीएमआरडीएफ अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए तैनाती की तारीख से प्रभावी दो वर्ष (अभिविन्यास अवधि से अलग) एकीकृत कार्य योजना के किसी भी जिले (आईएपी) में तैनाती, प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष की और बढोत्तरी के लिए होगी। यह अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

2) अभिविन्यास अवधि के दौरान पीएमआरडीएफ अध्येता रूपये 50,000/- प्रतिमाह का एक समेकित पैकेज दो महीने के लिए पाने के हकदार होंगे तथा प्रथम वर्ष के दौरान प्रति माह रूपये 75,000/-, तथा दूसरे वर्ष के दौरान 10% वेतन वृद्धि तथा साथ ही साथ कपार्ट द्वारा निर्धारित संतोषजनक प्रदर्शन करने पर फैलोशिप के तीसरे वर्ष के दौरान भी दिया जाएगा। यह पैकेज उन्मुखीकरण अवधि के दौरान फैलो के मानदेय, बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च , फैलोशिप की अवधि के दौरान आवास और मकान भत्ता, स्थानीय परिवहन लागत, स्वास्थ्य बीमा, जीवन, और विकलांगता बीमा कवर और किसी भी अन्य आकस्मिक व्यय के लिए समझा जाएगा। यह पीएमआरडीएफ अध्येताओं के लिए अनिवार्य होगा कि वे उन्मुखीकरण अवधि सहित फैलोशिप की पूरी अवधि के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा, जीवन और विकलांगता बीमा कवरेज आदि करायें।

3) फैलोशिप को किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देने के बाद या एक महीने के नोटिस के बदले एक महीने का पारिश्रमिक देकर बिना कारण बताये समाप्त किया जा सकता है।

4) फैलोशिप अवधि पूरी होने के बाद उम्मीदवार, कपार्ट / ग्रामीण विकास मंत्रालय/भारत सरकार / डीआरडीए/जिला परिषद/ जिला प्रशासन /राज्य सरकार / केन्द्र सरकार में नियमितीकरण या रोजगार का अधिकारी नहीं होगा।

5) यात्रा लागत (सबसे छोटे रास्ते के लिए द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया, एवं स्थानीय परिवहन लागत), प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक आधार पर मान्य होगा।

6) पीएमआरडीएफ फैलो 8 दिन का आकस्मिक अवकाश, दो दिन का प्रतिबंधित अवकाश एवं एक वर्ष में 15 दिन का अर्जित अवकाश और उनके कार्यकाल के दौरान अधिकम 30 दिन का बिना बेतन का अवकाश पाने का हकदार होगा। उनकी फैलोशिप अवधि के दौरान 30 दिन से ज्यादा बिना बेतन की छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी। फैलोशिप अवधि, फैलों के अनुपस्थित रहने के कारण किसी भी आधार पर बढाई नहीं जाएगी।

7) मातृत्व आधार पर छुट्टी के लिए, कार्यकाल के दौरान पीएमआरडीएफ फैलो अर्जित अवकाश के हकदार होंगे, यानि कुल अनुपिस्थत अवधि के लिए 45 दिन समायोजित किए जाएंगे और शेष अधिकतम 45 दिन मातृत्व अवकाश के लिए समझी जाएंगी। इसके अलवा कोई भी अनुपस्थित बिना बेतन की छुट्टी समझी जाएगी।

8) पीएमआरडीएफ अध्येताओं को जिला प्रशासन / डीआरडीए / संबंधित आईएपी जिले की जिला परिषदों में जिला कलेक्टरों के तहत तैनात किया जाएगा।

9) पूरी फैलोशिप की अवधि के दौरान पीएमआरडीएफ अध्येता जिला कलेक्टर के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत रहेगा।

10) पीएमआरडीएफ अध्येताओं के प्रदर्शन पूर्व डिजाइन प्रारूप पर एक वार्षिक आधार पर संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और कपार्ट को अग्रेषित किया जाएगा।

11) पीएमआरडीएफ अध्येताओं को कपार्ट की पीएमआरडीएफ योजना के समग्र दायरे के भीतर उनके जिला कलेक्टरों द्वारा दिये गये कार्यों एंव भूमिकाओं को निभाया जाएगा।

12) उम्मीदवार को फैलोशिप पेशकश, जो अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए निर्धारित तिथि के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है, को समाप्त समझा जाएगा।

13) यदि उम्मीदार पीएमआरडीएफ के प्रशिक्षण के लिए जिला कलेक्टर को रिपोर्ट नहीं करता है जहां उसे तैनात किया गया है, वह कपार्ट द्वारा अभिविन्यास अवधि के दौरान एवं उसके चयन पर किए गए खर्च की गई राशि को यथानुपात कपार्ट को वापस करेगा।

14) किसी भी स्तर पर यदि यह जानकारी में आता है कि किसी उम्मीदवार ने पीएमआरडी फैलोशिप को गलत तरीके से या तथ्यों को छुपा कर या गलत सूचना देकर प्राप्त किया है तो पीएमआरडीएफ फैलोशिप के तहत उसकी उम्मीदवारी को कपार्ट द्वारा बिना कोई कारण बताये और उस व्यक्ति को बिना किसी भरपाई के समाप्त कर दिया जाएगा।

15) कोई अनुशासनहीनता, दुराचार, अनियंत्रित व्यवहार, अवांछनीय गतिविधियां या अनधिकृत अनुपस्थिति एक पीएमआरडीएफ के भाग का कोई उदाहरण है तो उस व्यक्ति की फैलोशिप कपार्ट द्वारा बिना कोई कारण बताये और उस व्यक्ति को बिना किसी भरपाई के समाप्त कर दिया जाएगा।

मैं कपार्ट की पीएमआरडी फैलोशिप स्कीम की इन नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और इसके द्वारा उसकी स्वीकृति अपने हस्ताक्षर द्वारा स्वीकृत करता हूं।

दिनांक: _____ हस्ताक्षर: _____

जगह: _____ नाम: _____

पता: _____

_____

फोन नं: _____

ई-मेल: _____

**संलग्नक-III**

## PMRD फैलो की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट

रिपोर्टिंग अवधि : _____ से _____

1) पीएमआरडी अध्येता का नाम :

2) आईएपी जिला का नाम जहां वह तैनात है :

3) महीने के दौरान ली गई छुट्टियां :

आकस्मिक छुट्टी: _____
अर्जित छुट्टी: _____
प्रतिबंधित छुट्टी: _____
अन्य छुट्टियां: _____

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल ली गई छुट्टियां: _____

पीएमआरडी अध्येता के हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

रिकॉर्ड्स के साथ जाँच की गई और अग्रेषित

दिनांक: नाम: _____

स्थान: पदनाम: जिला कलेक्टर

(हस्ताक्षर और मुहर)

**संलग्नक-IV**

## पीएमआरडी अध्येता की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रारूप

1. पीएमआरडी अध्येता के नाम :
2. आईएपी जिला का नाम जहां तैनात हैं :
3. रिपोर्ट की अवधि :
4. कार्य निष्पादन* का आकलन :

| क्र. सं | ब्योरे | स्कोर |
|---|---|---|
| क | सौंपे गए काम की उपलब्धि | |
| ख | निष्पादन की गुणवत्ता | |
| ग | योजना/कार्य निष्पादन में विश्लेषणात्मक क्षमता | |
| घ | असाधारण कार्यों की उपलब्धि/अप्रत्याशित कार्यों का प्रदर्शन | |
| कार्य निष्पादन का कुल स्कोर | | |

5. * व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन

| क्र. सं | ब्योरे | स्कोर |
|---|---|---|
| क | कार्य के प्रति मनोवृत्ति | |
| ख | जिम्मेदारी का बोध | |
| ग | संचार कौशल | |
| घ | लक्ष्य लाभार्थियों के साथ सम्पर्क | |
| ड | नेतृत्व क्षमता | |
| च | कार्य के प्रति पाबंद | |
| छ | अंतर व्यक्तिगत संबंध | |
| ज | जोखिम लेने की क्षमता | |
| कार्य निष्पादन का कुल स्कोर | | |

6. विशेष विशेषताओं का आकलन *

| क्र. सं | ब्योरे | स्कोर |
|---|---|---|
| क | अनुसूचित जातियों/जनजातियों / महिलाओं /कमजोरों के प्रति संवेदनशीलता | |
| ख | स्थानीय स्थिति के अद्वितीय पहलुओं की समझ | |
| ग | अभिनव समस्या को सुलझाने के कौशल | |
| कार्य निष्पादन का कुल स्कोर | | |

7. अधिकारी का सम्पूर्ण मूल्यांकन ..... / 150.

दिनांक: नाम: _____

स्थान: पदनाम: जिला कलेक्टर

(हस्ताक्षर और मुहर)

* (1 से 10 के पैमाने पर स्कोर संख्यानुसार दिया जाएगा, 10 सर्वोच्च स्कोर है )

**<u>स्कोर की रेटिंग पर दिशा - निर्देश</u>**

स्कोर 8-10 के बीच = "उत्कृष्ट", 6-8 = "बहुत अच्छा, 4-6 = "अच्छा";
1-4 = "असंतोषजनक".

**Uploaded on 23-02-2012 – given by media div. via email-rdf**